प्रारुप 25

परियोजना विवरण : मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में ददैली भण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (6.00 कि0मी0)

परियोजना स्थल किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा न होने व प्रस्तावित स्थल की हवाई दूरी का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि किसी राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है। प्रस्तावित स्थल की समीपस्थ राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा से हवाई दूरी 20 कि0मी0 है।

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज
डांगचौरा
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

(50)

प्रारूप–26

परियोजना विवरण : मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में ददैली भण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (6.00 कि0मी0)

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने अथवा राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य की सीमा के 10.00 किमी0 की परिधि के अन्तर्गत होने की दशा मे लागू)

मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड का अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना होगा।

प्रस्तावित मार्ग राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य के अन्तर्गत 10.00 कि0मी0 की परिधि के अंतर्गत नहीं होने की दशा में लागू नहीं है।

सहायक अभियन्ता
अ0 ख0 लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर

ह0/
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

वन क्षेत्राधिकारी
मणिकनाथ रेंज
डांगचौरा
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

(8)

प्रारुप 27

<u>परियोजना विवरण</u> :— मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में ददैली भण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (6.00 कि0मी0)

(परियोजना के राष्ट्रीय पार्क / वन्य जीव अभयारण्य के अन्तर्गत प्रस्तावित होने की दशा में भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति)

(लागू नहीं है)

(नोटः—लागू होने की दशा में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उपरोक्तानुसार भारतीय वन्य जीव परिषद एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की अनुमति प्राप्त कर प्रस्ताव में संलग्न की जाय।)

सहायक अभियन्ता
अ0 खं0 लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर

(124)

प्रारुप 54

परियोजना विवरण : मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में ददैली मण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (6.00 कि०मी०)

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन न होने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन नहीं हुआ है।

क्षेत्रीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

ह०/
...

सहायक अभियन्ता
अ० खा० लो० नि० वि०
श्रीनगर मु० कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर

सहायक ... पटवारी
तहसील देवप्रयाग
टिहरी गढ़वाल

तहसीलदार
देवप्रयाग-टि० ग०

वन क्षेत्राधिकारी
मणिकनाथ रेंज
डांगचौरा
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टि० ग०

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

37

प्रारुप—18

परियोजना विवरण :— मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में ददैली गण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (6.00 कि0मी0)

कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर, मु0—कीर्तिनगर द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

ह0/—
प्रयोक्ता एजेन्सी

ह0/
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

सहायक अभियन्ता
अ0 ख0 लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर

तहसीलदार
देवप्रयाग-टि० ग०

उप प्रभागीय वनाधिकारी
देवप्रयाग उप वन प्रभाग
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनिकीरेती

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टि० ग०

वन क्षेत्राधिकारी
माणिकनाथ रेंज
डांगचौरा
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

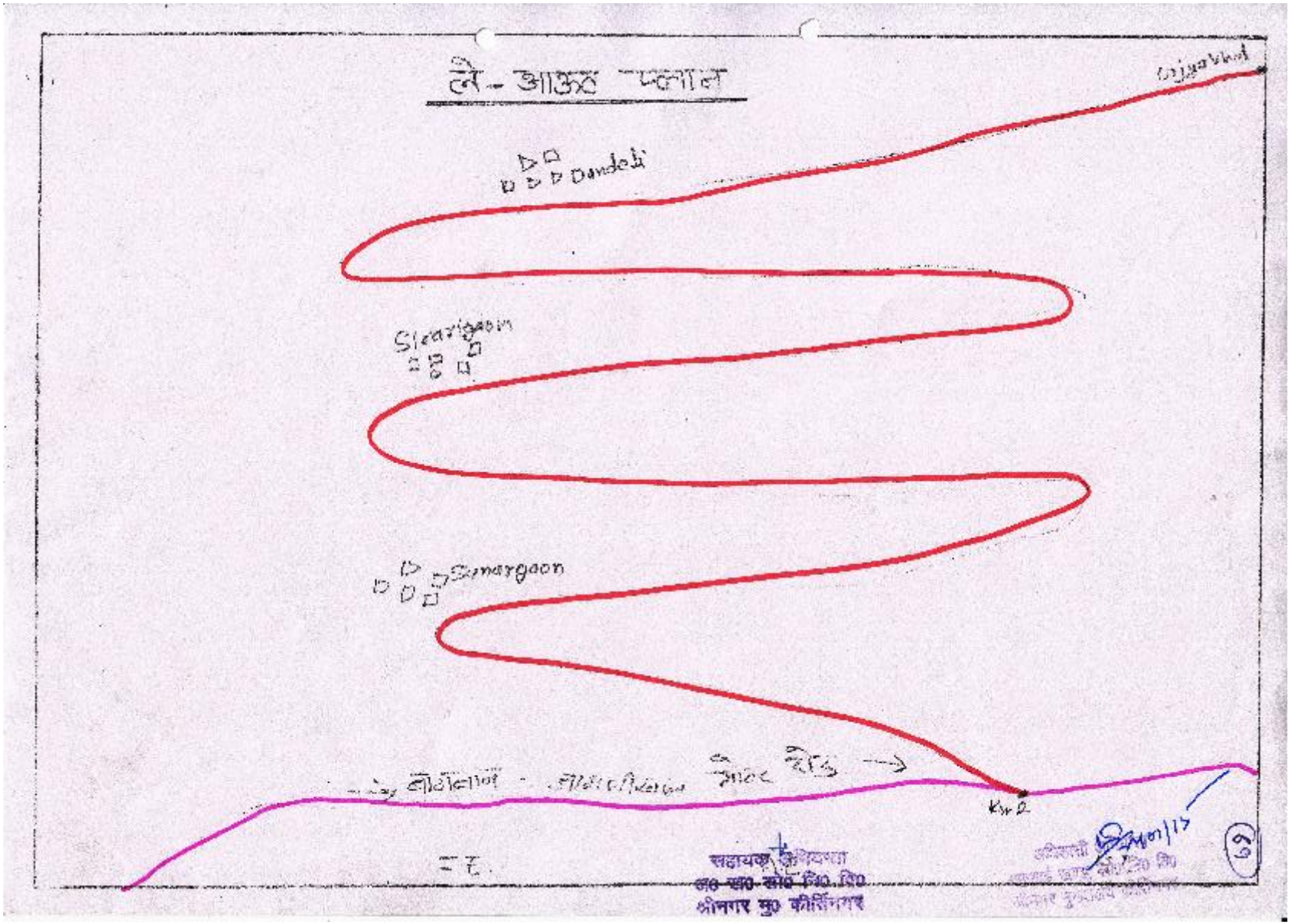

ले-आउट प्लान

सहायक अभियन्ता
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

69

प्रारूप–33

परियोजना विवरण : गुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग मे ददैली भण्डोली गोटर मार्ग का नव निर्माण (6.00 कि०मी०)

भू–वैज्ञानिक की आख्या

(प्रस्तावित स्थल की भू–वैज्ञानिक द्वारा निर्गत अद्यतन निरीक्षण आख्या प्राप्त कर संलग्न की जाय।)

ह0/
(भू–वैज्ञानिक)
नाम व पूरा पता।

अ0 ख0 लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर

(71)

Geological Report of Proposed Village Dadoli to Bhadoli Motor Road

Construction Division, PWD, Kirtinagar proposed a 6 Km **Dadoli to Bhadoli Motor Road** . As requested Er. Arvind Kumar AE, PWD, Kirtinagar, I carried out Geological investigations of the proposed road on 4th September 2013 in the presence of Er.Arvind Kumar.

General Geological Condition:

The investigated area falls in the Survey of India Toposheet No 53J/12. Geologically, the area comes under the Lesser Himalayan terrain. The proposed alignment falls around 1600-1200 meters a.m.s.l. The major ridge present in this area is roughly trending in NW-SE. At right angle to the main ridge, numerous secondary and tertiary spurs intersect the area showing highly dissected topography. The general slope is SE facing though considerable local variations are observed.

Rock types:

Lithologically, the area is constituted by Phyllites of Upper Proterozoic age. The highly fractured and shattered rocks are testimony of active tectonics in the region. Numerous local faults are also visible in the area. The rugged topography of the region indicate that the area is neotectonically active. The trend of Phyllite at the site of starting of the alignment is 35^0 due SSW

Detailed investigation of the alignment and suggested corrective measures are as follows:

1. The alignment bifurcates from Km 2[nd] of Bagwan-Jamnakhal Motor road.
2. Most of the alignment proposed will run through non cultivable fields. The terrain is gentle and is favorable for road construction.
3. There are 5 HP bends are proposed on the alignment in the following situation
    - 1st HP bend will fall in Km 1. The site is safe for HP bend as the slope is gentle and the site is on cultivable fields.
    - IInd HP bend will fall in Km 2. the site is again suitable for the bend as it will come in cultivable fields.
    - The IIIrd bend is also proposed on the cultivable fields in Km 2 and the site is again on the cultivable fields hence suitable for the bend construction.
    - The IVth HP bend is proposed on 4[th] Km. the site is though slightly steeper but still safe for HP bend.

4. As the general slopes are moderate and rocks are highly jointed and fractured, so it is advised that the use of explosive should be avoided. Use of explosive may change the hydro geomorphology of this region.
5. The road alignment should be constructed with a minimum grade of 1:20 gradient and the gradient only should be reduced in the absence of other options.

6. Proper drains and parapet / scrubbers walls at appropriate locations be constructed as per norms of hillside road safety

7. The proposed section of the road may be geologically safe provided the construction agency (PWD) takes care of the above-mentioned corrective measures. Suggestions may be sought in future if problem arises at some point.

5.9.11

S.P. Sati
Consultant Geologist
Thapliyal Bhavan,
Ramlila Ground
Srinagar Garhwal

प्रारुप–31

परियोजना विवरण :– मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में ददैली भण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (6.00 कि0मी0)

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों / सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों / संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ह0 / –
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

सहायक अभियन्ता
अ0 ख0 लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर

प्रारूप–35

परियोजना विवरण :– मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग में ददैली भण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (6.00 कि0मी0)

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred. Apart from the stage of planning the road alignment. effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-
(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonaters in large scale basting work is to be made for anadline dispersion of chuck waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the deraded slopes immediately after the excavation is made.
(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains. longitudinal drains/culverts. breast walls. retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियों का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा है।

ह0/–
प्रभारी स्वामी

सहायक अभियन्ता
अ0 ख0 लो0 नि0 वि0
कीर्तिनगर

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0

प्रारुप–36

परियोजना विवरण : मुख्य मंत्री ग्राम सड़क संयोजन के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड देवप्रयाग मे ददैली भण्डोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (6.00 कि०मी०)

मानक शर्तों का मान्य होने का प्रमाण–पत्र

मानक शर्तें

1. वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और यह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2. प्रस्तावित भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

3. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5. प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव किया जायेगा।

7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के निरीक्षण हेतु आने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8. बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु अनिवार्य यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के समुचित विकल्प की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9. सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10. प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

11. सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर सर्वेक्षण कार्य करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो०नि०वि० द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो०नि०वि० को सम्बोधित पत्र संख्या 605 सी० दिनांक 10-2-82 में निहित आदेशों का पालन भी लो०नि०वि० द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अवस्थित सड़कों अथवा वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

12. प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14. हस्तान्तरित भूमि पर पतन हेतु वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषेध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निर्णय सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15. वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कॉरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के टावरों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

17. उपरोक्त मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा शासन स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाए।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्तें प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य हैं।

अधिशासी अभियन्ता
अ0 ख0 लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मु0 कीर्तिनगर

ह0/
प्रयोक्ता
अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो0 नि0 वि0
श्रीनगर मुख्यालय कीर्तिनगर